न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/4521/2004/गंगानगर

1 अजायबसिंह पुत्र जगजीतसिंह उर्फ जगतसिंह
2 अवतारसिंह पुत्र बिशनसिंह (फौत) सभी जाति कम्बोसिख निवासीगण 21 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार
2 दर्शनारानी बेवा शिवलाल
3 रमेश कुमार पुत्र शिवलाल
4 चन्द्र प्रकाश पुत्र शिवलाल
5 जगदीश पुत्र शिवलाल
6 शादरारानी उर्फ शारदादेवी पुत्री शिवलाल
7 राजरानी पुत्री शिवलाल
8 आशारानी पुत्री शिवलाल
9 सुनीतारानी पुत्री शिवलाल समस्त अकवाम अरोडा निवासी रायसिंहनगर जरिये रमेश कुमार पुत्र शिवलाल अरोडा बहैसियत मुखद व मुखत्यारआम
10 सरस्वती बेवा हरबंसलाल (मृतक)
11 सतीश कुमार पुत्र हरबंसलाल
12 कृष्णलाल पुत्र हरबंसलाल
13 गोपाल पुत्र हरबंसलाल सभी अरोडा निवासी रायसिंहनगर
14 शकुन्तलादेवी पुत्री हरबंसलाल पत्नी कुलदीप सेठी निवासी गंगानगर
15 सन्तोषदेवी पुत्री हरबंसलाल पत्नी ज्ञानचन्द खुराना निवासी सूरतगढ
16 सरोजबाला पुत्री हरबंसलाल पत्नी नवीन कुमार निवासी श्रीगंगानगर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री धूकलराम कसवां, सदस्य

उपस्थितः श्री अमृतपालसिंह वकील अपीलार्थीगण
श्री दिनेश कुमार वकील ब्रीफ होल्डर वकील प्रत्यर्थीगण
श्री राजेन्द्रसिंह बराड वकील प्रत्यर्थी संख्या 3

निर्णय

दिनांकः..24.4.19

यह द्वितीय अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 174/2000 में पारित निर्णय दिनांक 20.9.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 9 व 10 से 16 ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में प्रतिवादी अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 21 पी.एस. के मुरब्बा नम्बर 60 में 12.10 बीघा भूमि शिवलाल वादी प्रत्यर्थी संख्या 2 से 9 के पूर्वाधिकारी एवं इसी चक नम्बर 21 पी.एस. के मुरब्बा नम्बर 60 में 12.10 बीघा भूमि हरबंसलाल वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 10 से 16 के पूर्वाधिकारी को आवंटित की गई। प्रतिवादी अपीलार्थीगण उक्त आराजी की देखभाल करते थे। शिवलाल व हरबंसलाल हिन्दी पढे लिखे नहीं थे। रेवेन्यु विभाग सम्बन्धि कार्यवाही हेतु 2-3 कागजो पर प्रतिवादीगण ने उनके हस्ताक्षर करा लिये एवं धोखे से सौदा बय का प्रतिवादीगण के कथन अनुसार लिखा लिया। वर्ष 1982 में वाद संख्या 18/82 माननीय अपर सेशन न्यायालय में इकरारनामा के अनुसार शर्तो की पालना नहीं करने पर प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत किया जो निर्णय दिनांक 30.3.89 से खारिज हो गया। प्रतिवादीगण का इस निर्णय के अनुसार कब्जा अतिक्रमी के रूप में है। अतः उन्हें बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया एवं माननीय उच्च न्यायालय में अपर सेशन न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील विचाराधीन होना कथन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर तीन तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 6.12.2000 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इससे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20.9.2004 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन अपील के निर्णय अपीलार्थी प्रतिवादीगण तहसीलदार के समक्ष 3000रूपये प्रतिबीघा प्रतिफसल की दर से नगद प्रतिभूमि जमा करवाता रहे तो विवादित भूमि पर कब्जा अपीलार्थीगण का रहने दिया जावे। राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का निर्णय व डिक्री दिनांक 6.12.2000

यथावत रहेगा। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि का बेचान जरिये इकरारनामा दिनांक 18.1.63 एवं 8.4.63 के द्वारा किया जा चुका था। तब से अपीलार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। माननीय सेशन न्यायालय का निर्णय आने के बाद वादी प्रत्यर्थीगण ने वाद बाबत बेदखली का प्रस्तुत किया है। तब तक अपीलार्थीगण का कब्जा 26 वर्षो से अधिक पुराना हो चुका था जिससे बेदखली की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी एवं वाद चलने योग्य ही नहीं था एवं प्रतिवादी अपीलार्थीगण का कब्जा मुखालफामना हो चुका था। वादी प्रत्यर्थीगण का वाद मयाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य था। अपीलार्थीगण के पक्ष में निष्पादित इकरारनामे को किसी भी न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है जिससे इकरारनामा के आधार पर अपीलार्थीगण कब्जा रखने के अधिकारी हैं। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

5. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपनी बहस में उनकी ओर से प्रस्तुत क्रोस आब्जेक्शन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करा तर्क दिया कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस.अर. सिविल प्रथम अपील संख्या 57/1989 का निर्णय दिनांक 22.5.2018 को हो गया है एवं अपील खारिज की गई है। जिससे यह अपील स्वतः निष्प्रभावी हो गई है एवं विचारण न्यायालय का निर्णय बहाल हो गया है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी संख्या 2 का देहान्त हो चुका है एवं माननीय उच्च न्यायालय में उनके विधिक वारिसान को अभिलेख पर लिया गया है परन्तु इस अपील में वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र आज दिन तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपील अबेट हो चुकी है। अतः अपील खारिज की जावे एवं क्रोस आब्जेक्शन स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय बहाल किया जावे।

6. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल प्रथम अपील संख्या

57/1989 में पारित निर्णय दिनांक 22.5.18 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रायसिंहनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.3. 1989 के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील को खारिज कर दिया है।

8. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 22.5.18 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि इसमें अपीलार्थी संख्या अवतारसिंह पुत्र बिशनसिंह फोत हो जाने से उसके वारिसान गुरदयालसिंह, शीलत कोर, सुखदेवसिंह आदि वारिसान को अभिलेख पर लिया गया है। परन्तु इस अपील में मृतक अवतारसिंह के फोत होने की सूचना तक नहीं दी गई एवं न हीं मृतक के वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने एवं अबेटमेन्ट को निरस्त कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। ऐसी स्थिति में यह अपील स्वतः अबेट हो जाती है।

9. प्रकरण के गुणावगुण पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि का आवंटन वादीगण के पूर्वाधिकारी शिवलाल व हरबंसलाल को किया गया था तथा प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण ने विवादित भूमि का वर्ष 1963 में उनके पक्ष में बेचान का इकरारनामा लिखा जाने के आधार पर कब्जा होना कथन किया है। इसके विपरीत वादी प्रत्यर्थीगण ने धारा 183 अधिनियम के वाद में प्रतिवादीगण वर्तमान अपीलार्थीगण का कब्जा वर्ष 1982 से उनकी इच्छा के विपरीत होना कथन करते हुए वर्ष 1989 में बेदखली का दावा प्रस्तुत किया है। माननीय उच्च न्यायालय में इकरारनामा की शर्तो की पालना के प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत अपील का निस्तारण हो चुका है। ऐसी स्थिति में धारा 183 अधिनियम के प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही की जाना न्यायोचित एवं अपेक्षित रहती है।

10. राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन उक्त अपील के निर्णय तक प्रकरण में अन्तिम निर्णय नहीं करने के निर्देश के साथ प्रकरण कों विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन अपील का निर्णय दिनांक 22.5.18 को हो चुका है। ऐसी स्थिति में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण का निस्तारण किये जाने में अब कोई बाधा नहीं है।

11. वादीगण प्रत्यर्थीगण ने वर्ष 1982 से प्रतिवादी अपीलार्थीगण का कब्जा उनकी इच्छा के विरूद्ध होना कथन करते हुए वर्ष 1989 में दावा प्रस्तुत किया है। बेदखली का वाद प्रस्तुत करने की अवधि 12 वर्ष है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद अन्दर अवधि प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों ने सभी साक्ष्यों का विवेचन करते हुए विवादित भूमि वादीगण प्रत्यर्थीगण के पूर्वाधिकारी शिवलाल

व हरबंसलाल को आवंटित होना तथा प्रतिवादीगण का कब्जा अतिक्रमी के रूप में होना मानते हुए समवर्ती निर्णय पारित किया है। अपीलार्थीगण ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे उनका कब्जा वर्ष 1982 के पूर्व से वादीगण प्रत्यर्थीगण की इच्छा के विपरीत होना साबित होता हो। ऐसी स्थिति में हम इस प्रकरण के गुणावगुण पर भी इस अपील में कोई सार नहीं पाते हैं एवं खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

12. विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसिंहनगर ने निरस्त कर दिया था, जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी./सिविल प्रथम अपील संख्या 57/1989 को अपने निर्णय दिनांक 22.5.18 द्वारा निरस्त कर दिया है। दिनांक 12.5.89 को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश अन्तरण नहीं करने का था जो दिनांक 1.9. 89 को पुष्ट हुआ। कब्जा मुखालफाना का कथन प्रतिवादीगण का नहीं है। वर्ष 1982 में सिविल वाद हुआ जो 89 में निर्णीत हुआ। बेदखली का वाद वर्ष 89 में पेश हुआ। वाद पत्र की मद संख्या 5 अनुसार कब्जा नाजायज वर्ष 82 में हुआ। वाद पत्र की मद संख्या 2 के अनुसार वे हमारी इच्छा से जमीन पर काबिज थे। वाद पत्र की मद संख्या 1 अनुसार भूमि आवंटित हुई थी। खातेदारी में होना का कथन अथवा जमाबन्दी सलंग्न नहीं है। किन्तु खातेदार एवं अवंटी गैर खातेदार दोनों टिन्नसी/ आवंटन की शर्तो से पाबन्द रहते है। इस बिन्दु के प्रभाव पर कि सहमत कब्जे का अन्यथा विधिक प्रभाव क्या था, कोई तनकी नहीं बनी थी और इस पर जबाबदेही नहीं की। ऐसी स्थिति में उस स्थिति पर यहां कोई विचार नहीं किया गया है। वह स्थिति इस निर्णय से अप्रभावित होकर विधि अनुसार रहेगी। वर्तमान स्वरूप में प्रतिवादीगण विनिर्दिष्ट अनुतोष कीपालना नहीं करवा सके हैं।

13. प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अभिभाषक ने क्रोस आब्जेक्शन प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल रखे जाने की प्रार्थना की हैं। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन अपील का निर्णय दिनांक 22.5.18 को हो चुका है। ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद में उक्त अपील के निर्णय तक कार्यवाही नहीं की जाना उचित नहीं समझते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण रूपये 3000/- प्रतिबीघा प्रतिफसल नगद प्रतिभूति जमा करावें तो उनका कब्जा रहने दिया जावे अन्यथा विचारण न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन अपील का निर्णय हो चुका है एवं अपील खारिज की गई है। ऐसी स्थिति में हम क्रोस आब्जेक्शन स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जाना न्यायोचित समझते हैं।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थीगण की यह अपील खारिज की जाती है तथा क्रोस आब्जेक्शन स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय को संशोधित करते हुए उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का निर्णय व डिक्री दिनांक 6.12.2000 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धोकलराम कसवा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य